

सं०-भा०ति०सी०पु०/सपोर्ट वा०/शि०पा०/नीलामी/2020-21
कार्यालय सेनानी सपोर्ट वाहिनी
भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल
(गृह मंत्रालय/भारत सरकार)
पत्रालय-करैरा, जिला- शिवपुरी(म०प्र०)

दिनांक-

नीलामी सूचना

सपोर्ट वाहिनी, भा०ति०सी०पुलिस बल, करैरा शिवपुरी (म०प्र०) द्वारा दिनांक-11.02.21 को प्रातः 1000 बजे कैम्प परिसर में अनुपयोगी सामान जैसे कम्प्यूटर एसेसरीज एवं ब्रन्ट ऑयल इत्यादि की नीलामी की जानी है।

नीलामी की शर्तें निम्नानुसार हैं:-

1. नीलामी दिनांक-1.02.21 को प्रातः 1000 बजे की जायेगी सामान का निरीक्षण उसी दिन 0900 बजे से 1000 बजे तक कैम्प परिसर में किया जाएगा।
2. बोली दाता को बोली शुरू होने से पूर्व जमानत के तौर पर धरोहर राशि रु. 5000/- (रु. पांच हजार मात्र) जमा करवाना होगा जो उसी दिन नीलामी के पश्चात वापस कर दिए जायेंगे।
3. नीलामी के लिए अंतिम बोली दाता को हथौड़ा गिरने पर तुरन्त बोली की सम्पूर्ण धनराशि जमा करवानी होगी।
4. किसी भी प्रकार की जी०एस०टी० जो देय होगी उसका भुगतान केता द्वारा किया जायेगा।
5. समस्त सामान का कय जैसा है जहां है कि पद्धति से किया जायेगा। सामान को कय करते समय यह माना जायेगा कि बोली दाता ने इसका निरीक्षण किया है।
6. सामान कय होने पर केता द्वारा सामान को मौके पर जमा स्थान से अपने प्रबंध पर उसी दिन लेजाना होगा। यदि निर्धारित समय पर केता द्वारा कय शुदा सामान नहीं ले जाया गया तो उस सामान की जिम्मेदारी इस कार्यालय की नहीं होगी।
7. प्रचलित बिक्री तथा केन्द्रीय बिक्री कर सरकारी खजाने में जमा करने के उपरान्त चालान की प्रति देने के पश्चात ही सामान ले जाने की अनुमति होगी।
8. सेनानी सपोर्ट वाहिनी को यह अधिकार होगा कि बिना कारण बताये वह नीलामी को अस्वीकार या निरस्त कर सकते हैं।

म व दी य

(ऋषम कुमार)

सेनानी सपोर्ट

सपोर्ट वाहिनी, भा०ति०सी०पु० बल

सं०-भा०ति०सी०पु०/सपोर्ट वा०/शि०पा०/नीलामी/2020-21
कार्यालय सेनानी सपोर्ट वाहिनी
भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल
(गृह मंत्रालय/भारत सरकार)
पत्रालय-करैरा, जिला- शिवपुरी(म०प्र०)

दिनांक-

नीलामी सूचना

सपोर्ट वाहिनी, भा०ति०सी०पुलिस बल, करैरा शिवपुरी (म०प्र०) द्वारा दिनांक-11.02.21 को प्रातः 1000 बजे कैम्प परिसर में अनुपयोगी सामान जैसे कम्प्यूटर एसेसरीज एवं ब्रन्ट ऑयल इत्यादि की नीलामी की जानी है।

नीलामी की शर्तें निम्नानुसार हैं:-

1. नीलामी दिनांक-1.02.21 को प्रातः 1000 बजे की जायेगी सामान का निरीक्षण उसी दिन 0900 बजे से 1000 बजे तक कैम्प परिसर में किया जाएगा।
2. बोली दाता को बोली शुरू होने से पूर्व जमानत के तौर पर धरोहर राशि रू. 5000/- (रू. पांच हजार मात्र) जमा करवाना होगा जो उसी दिन नीलामी के पश्चात वापस कर दिए जायेंगे।
3. नीलामी के लिए अंतिम बोली दाता को हथौड़ा गिरने पर तुरन्त बोली की सम्पूर्ण धनराशि जमा करवानी होगी।
4. किसी भी प्रकार की जी०एस०टी० जो देय होगी उसका भुगतान केता द्वारा किया जायेगा।
5. समस्त सामान का कय जैसा है जहां है कि पद्धति से किया जायेगा। सामान को कय करते समय यह माना जायेगा कि बोली दाता ने इसका निरीक्षण किया है।
6. सामान कय होने पर केता द्वारा सामान को मौके पर जमा स्थान से अपने प्रबंध पर उसी दिन लेजाना होगा। यदि निर्धारित समय पर केता द्वारा कय शुदा सामान नहीं ले जाया गया तो उस सामान की जिम्मेदारी इस कार्यालय की नहीं होगी।
7. प्रचलित बिक्री तथा केन्द्रीय बिक्री कर सरकारी खजाने में जमा करने के उपरान्त चालान की प्रति देने के पश्चात ही सामान ले जाने की अनुमति होगी।
8. सेनानी सपोर्ट वाहिनी को यह अधिकार होगा कि बिना कारण बताये वह नीलामी को अस्वीकार यम निरस्त कर सकते हैं।

भ व दी य

(ऋषभ कुमार)

सेनानी सपोर्ट

सपोर्ट वाहिनी, भा०ति०सी०पु० बल